सी. नं.19(48)/कर मुक्ति/हरिद्वार/2009–10/तक./4869 दिनांक 12/8/09

**भारत सरकार**
**(वित मंत्रालय)**
**कार्यालय आयकर आयुक्त**
**13–ए, सुभाष रोड, देहरादून**

सेवा में,

**मिशन फॉर अनाथ डवलपमैन्ट एण्ड वैलफेयर सोसाईटी,**
**सहारा कृष्णन एकेडमी,**
**जोशीयाड़ा, उत्तरकाशी।**

**विषय : आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण।**

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त संस्था को आयकर आयुक्त देहरादून ने अपने दिनांक **12.06.2007** के आदेश संख्या सी.सं. 19 **(07) /कर मुक्ति/ हरिद्वार/2006–07/तक./2356** द्वारा दिनांक **08.12.2006** से दिनांक **31.03.2009** तक की अवधि के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत कर मुक्ति का प्रमाण–पत्र द्वारा धारा 80 जी के अन्तर्गत प्रदान की गई कर मुक्ति को दिनांक **01.04.2009** से दिनांक 31.3.12 के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर नवीकृत किया जाता है।

1. आदेश संख्या सी. सं **उपरोक्त** दिनांक **12.06.2007** में वर्णित सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।
2. संस्था/न्यास के उद्देश्य, नियमों व संविधान में होने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन/संशोधन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दी जाए।
3. आय–व्यय के लेखों की प्रति सम्बन्धित आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त के समक्ष प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाये।

आर० के० शर्मा
(आर० के० शर्मा)
आयकर आयुक्त, देहरादून

1. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त/वार्ड–3 **हरिद्वार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त रेन्ज **हरिद्वार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ।

(आबिद अली)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून